महत्वपूर्ण एवं खास

निर्माणाधीन मकान का गिरा छज्जा मजदूर युवती घायल

रायगढ़। कापू थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन छज्जा गिरने से मजदूर युवती के घायल होने का मामला सामने आया है । युवती को इलाज के लिए मेकाहारा भर्ती किया गया। ममता चौहान पिता राम चौहान उम्र 18 वर्ष कापू थाना क्षेत्र ग्राम पखानाकोट निवासी है। जो रोजी मजदुरी का काम करती है। वही रोजना की तरह निर्माणाधीन मकान के काम करने गई थी । इस बीच सुबह 9 बजे के आसपास छज्जा में लगा सेंट्रिग भरभरा कर गिर गया इससे युवती के सिर पर लोहे का सेंट्रिग पलेट लगने से वह लहूलुहान हो गई जिसे कापू उप स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती किया गया। जहां उसकी दशा देख मेकाहारा रिफर किया गया। फिलहाल युवती की दशा नाजुक बनी हुई है।

आग सेक ती बुजुर्ग महिला आई चपेट में झुलसी दशा नाजुक

रायगढ़। ठंड से बचने के लिए 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला गेरसी के आग ताप रही थी। वही इस आग के संपर्क में आने से वह बुरी तरह से झुलस गई। जिसे इलाज के लिए मेडिकल कालेज अस्पताल भर्ती किया गया। रबिया बी पति सलीम उम्र 80 वर्ष राजापारा निवासी है। जो ठंड अधिक होने के कारण घर के आंगन के आग के आगे बैठी थी। इस बीच बुजुर्ग महिला का कपड़ा आग की सम्पर्क में आ गया। इस घटना से वह चीख पुकार मचाने लगी जिसे सुनकर अंदर बैठे परिजन मौके पर आए जहा आग से झलसते देख उसे कम्बल की मदद से बुझाने का प्रयास किये। जहां आनन फानन में अटो की मदद से मेडिकल अस्पताल भर्ती किया गया वही डाक्टरो के अनुसार बुजुर्ग महिला 80 प्रतिशत झुलसी है जिससे उसकी दशा नाजुक बनी हुई है।

जुआ खेलते युवक पकड़े गए

रायगढ़ । छाल पुलिस मुखबिर की सूचना पर छाल पुर्नवास रोड आम जगह पर तास पत्ती से जुआ खेलते हुए अमित पिता जगदेव उरांव उम्र 38 वर्ष निवासी थानापारा छाल, जय प्रकाश पिता अभिराम कवंर उम्र 43 वर्ष थानापारा छाल निवासी, राजेश कुमार पिता पदम सिंह कंवर उम्र 30 वर्ष निवासी बांगरसूता उपरपारा थाना छाल को जुआ रेड कर पकड़े जिनके जुआ फड़ एवं पास से जुमला रूपये 2050 रूपये, 52 पत्ती तास जप्त किया गया है । आरोपीगण के विरूद्ध थाना छाल में धारा 13 जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

ट्रैक्टर में सवार मजदूर की गिरकर हुई मौत चालक पर जुर्म दर्ज

रायगढ़। तमनार थाना क्षेत्र ग्राम गोढ़ी तेज अनियंत्रित रफ्तार ट्रैक्टर से गिरकर 21 वर्षीय युवक लहूलुहान हो गया था, वही इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाने के दौरान मौत होने का मामला सामने आया हैं।

गोढ़ी निवासी ग्रामीण मृतक रंग लाल पिता मेहत्तर उम्र 21 साल तमनार है । जो पड़ोस के गांव के ट्रेक्टर में रोजी मजदूरी करने गांव के कुछ लोगों के साथ रोजना जाता था । वही सोमवार को भी मृतक रंग लाल काम पर गया था,जहां ट्रैक्टर से इर्ट खाली करने के बाद अन्य दो मजदूरों के साथ वापस इट भट्ठा जा रहा था इस बीच ट्रेक्टर की गति अनियंत्रित थी । जिससे खस्ताहाल सड़क के कारण ट्रेक्टर अत्यधिक हिचकोले ले रहा था । इस हिचकोले खाते ट्रेक्टर से वह अनियंत्रित होकर गिर गया । मामले में पीएम के बाद शव को परिजनों के सपुर्द किया गया है।

संचालक की नहीं सुनते सहायक आयुक्त, हाईकोर्ट का आदेश दरकिनार

रायगढ़। आजाक के सहायक आयुक्त अपने विभाग प्रमुख व संचालक की भी नहीं सुन रहे हैं। विभाग में पदस्थ चतुर्थवर्ग कर्मचारियों को नियमित वेतनमान देने के लिए अफसर ने हाईकोर्ट का आदेश भी दरकिनार कर दिया है जिससे इसे कोर्ट की अवमानना बताकर कर्मचारियों के वकील ने सहायक आयुक्त को लीगल नोटिस भेज दिया है।

आजाक में भर्ती किए गए साढ़े 5 सौ से ज्यादा चतुर्थवर्ग कर्मचारियों को नियमित वेतनमान देने से रोकने में विभाग कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। विस चुनाव से पहले अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने राहत दी थी और डबल बेंच ने रिट पिटीशन 525-2015 , 481-2015 एवं 564-2015 में सिंगल बेंच द्वारा दिए गए पूर्व के आदेश को निरस्त कर दिया था। जिस पर इन कर्मचारियों को कलेक्टर दर की जगह नियमित वेतनमान दिए जाने का रास्ता साफ हो गया था। हाईकोर्ट ने 3 अक्टूबर को आदेश दिया था। इसके बाद विभाग के अवर सचिव ने 16 अक्टूबर को सहायक आयुक्त को आदेश देकर इसका निराकरण करने कहा था। इसके बाद 22 नवंबर को विभाग के संचालक पीएस एल्मा ने भी पत्र क्रमांक 8411 द्वारा सहायक आयुक्त संकल्प साहू को इस पर कार्रवाई करने कहा था। पत्र के अनुसार जिला स्तर में हुई इस भर्ती में चतुर्थवर्ग कर्मचारियों को नियमित वेतनमान देने का अधिकार होने की बात कही गई थी और हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना होने एवं अवमानना से बचने के लिए जल्द से जल्द इस मामले का निराकरण रकने के लिए कहा था लेकिन सहायक आयुक्त ने ना तो संचालक के आदेश की परवाह की और ना ही हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना जरूरी समझा।

2 साल बाद आधी हुई सैलरी

आजाक विभाग ने आकस्मिकता निधी से भर्ती हुए इन चतुर्थवर्ग कर्मचारियों को शुरूआत में नियमित वेतनमान दिया था। दो साल बाद वेतनमान देने के बाद नवंबर 2014 में कलेक्टर दर पर वेतन जारी किया जाने लगा जिससे उनकी सैलरी आधी हो गई थी, लेकिन कर्मचारी हाईकोर्ट चले गए थे। हालांकि बाद में रायपुर के अफसरों ने इसे जिला स्तर का मामला बताकर कलेक्टर को निर्णय लेने के लिए सक्षम बता दिया था।

6 साल पहले की गई थी भर्ती

जिले में आजाक विभाग के छात्रावास,आश्रम व कार्यालय में चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। इसमें रसोईया, जलवाहक, चौकीदार एवं प्यून के अलावा अन्य 554 पदों पर भर्ती की गई थी। अब चार साल से आधी सैलरी लेने के बाद भी कर्मचारी संघर्षरत हैं और अब अफसरों द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नियमित वेतनमान नहीं देने पर अवमानना की तैयारी कर रहे हैं।

इसके लिए सहायक आयुक्त को नोटिस दिया है।

कबाड़ गोदाम में पुलिस का औचक चेक

रायगढ़। 7 जनवरी को पुलिस अधीक्षक महोदय राजेश कुमार अग्रवाल द्वारा जिले के समस्त थाना/चौकी प्रभारियों को उनके क्षेत्र के सभी कबाड दुकान, संदिग्ध वाहनों को चेक कर विधि सम्मवत कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था। निर्देश के परिपालन में सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के कबाड खरीदी बिक्री करने वाले दुकान/गोदामों को चेक किया गया, जिसमें कई कबाड गोदाम लंबे समय से बंद रहना तथा कुछ कबाड दुकान में जप्ती योग्य सामाग्री न होकर कांच की शीशी, टुटफुट प्लास्टिक, पुट्ठा आदि पाया गया। थाना प्रभारी पूंजीपथरा एवं स्टाफ को कबाड गोदाम/वाहन चेक के दौरान आज रात्रि करीब 19.30 बजे बंजारी मंदिर के पास एक स्वराज माजदा CG13 D- 1786 मिला, जिसे चेक करने पर उसके अंदर करीब 03 टन स्पंज आयरन कीमती करीब 46350 रूपये का लोड था, वाहन चालक रवि सिंह पिता बाजी सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी पतरापाली जिंदल थाना कोतरारोड़ के पास स्पंज आयरन के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये जाने पर वाहन मय स्पंज जप्त कर आरोपी रवि सिंह के विरूद्ध थाना पूंजीपथरा में इस्तगासा क्रमांक 01/19 धारा 41(1+4) CrPC/379IPC की कार्यवाही की गई है ।

सिंघल फैक्टरी से ट्रक में स्पंज आयरन लोडकर फरार हुये 2 ट्रक चालक व खयानत कराने वाला ट्रांसपोर्टर गिरफ्तार

रायगढ़। 31 दिसम्बर को थाना पूंजीपथरा में सन्तोष दुबे पिता स्व. कैलाश दुबे उम्र 51 वर्ष निवासी छातामुड़ा अटल चौक द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि इसके महाराज रोड कैरियर्स की शाखा ग्राम तराईमाल से 28 दिसम्बर को ट्रक क्रमांक सीजी 15 AC 5073 का चालक माल लोड करने सिंघल एनर्जी कंपनी गया था, जहां से ट्रक का चालक रायपुर का माल स्पंज आयरन 40.490 mt कीमत लगभग नौ लाख रुपये का बिना बिल्टी बनवाये लोड ट्रक स्पंज आयरन लेकर भाग गया है, रिपोर्ट पर ट्रक के चालक के विरूद्ध अप.क्र. 161/18 धारा 407 IPC पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान जानकारी मिली कि उक्त ट्रक मोवा रायपुर निवासी सचिन अग्रवाल पिता श्यामलाल अग्रवाल उम्र 28 वर्ष जो अपने ट्रक नम्बर CG 04 MB-2368 में ट्रक नम्बर सीजी 15 AC 5073 को लगाकर अपने ट्रक चालक शंकर यादव पिता राम सुन्दर यादव उम्र 30 वर्ष निवासी गया बिहार तथा ट्रक चालक मिथलेश यादव पिता गणेश यादव उम्र 38 वर्ष निवासी पलामू झारखंड के माध्यम से दिनांक घटना को सिंघल फैक्टरी से अपने ट्रक में स्पंज आयरन 40.490 mt निकलवाकर बिना बिल्टी बनवाये कांटाभांजी (ओडिसा) भेज दिया था, यह भी जानकारी मिली कि ट्रक नम्बर सीजी 15 AC 5073 सचिन अग्रवाल के परिचित आशीष सोनी निवासी रामानुजगंज की पूर्व में थी । सचिन अग्रवाल व आशीष सोनी ने साठगांठ कर ट्रक में CG15 AC 5073 नम्बर लगवाया गया था , ताकि कभी पकडे जाने पर आशीष सोनी से उक्त ट्रक को खरीदने वाला व्यक्ति फंसे चूंकि आशीष से एक अन्य व्यक्ति ट्रक खरीदा था जो रूपये जमा नहीं करने पर बीमा कंपनी द्वारा ट्रक जप्त किया गया था , उसी ट्रक नम्बर का उपयोग सचिन द्वारा किया जा रहा था ।

पूंजीपथरा पुलिस ने ट्रक को मय स्पंज आयरन के कांटाभांजी से जप्त कर रायगढ़ लायी। घटना को खुलासा होने पर सचिन अग्रवाल व उसके दो ट्रक ड्रायवर शंकर यादव, मिथलेश यादव को गिरफ्तार किया गया है।

सड़क दुर्घटना में नाबालिग चोटिल

रायगढ़। जिले में सड़क दुर्घटना का सिलसिला थमने का नाम नही ले रहा है, वही इन दुर्घटनाओं को देखते हुए भी परिजन नाबालिग बच्चों को वाहन देनानही छोड़ रहे हैं । इस कड़ी में हैप्पी चौहान उम्र 15 वर्ष बोईरदादर निवासी है जो अपने नाबालिग साथी के साथ मोटरसाइकिल फर्राटे से दौड़ा रहा था। इस बीच बोलरे चालक ने सामने से ठोकर मार दिया। इससे बालक जख्मी हो गया। वही बालक को मेकाहारा इलाज के लिए भर्ती किया गया है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यका, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंर्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग. संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480